यूको बैंक

UCO BANK

सीआरएन/CRN 392/2010-11

प्रधान कार्यालय/Head Office-2: मानव संसाधन प्रबंधन विभाग Human Resource Management Department 3-4, डी डी ब्लॉक DD Block सेक्टर Sector-I, साल्ट लेक Salt Lake कोलकाता Kolkata - 700 064

(भारत सरकार का उपक्रम) सम्मान आपके विश्वास का (A Govt. of India Undertaking) HONOURS YOUR TRUST

परिपत्र सं0 /Circular No. : सी एच ओ/पी एम जी/

CHO/PMG/48/2010-11 दिनांक/Date: 16.03.2011

सभी शाखाओं /कार्यालयों को परिपत्र CIRCULAR TO ALL BRANCHES/OFFICES

विषय : कर्मचारी के अपने या पुत्री/आश्रित बहन के विवाह पर व्यय हेतु विशेष ऋण

की वर्तमान योजना में संशोधन।

Sub : Improvement in existing scheme of Special Loan to meet marriage

expenses of an employee or his/her daughter/dependent sister.

सार GIST

कर्मचारी के अपने या पुत्री/आश्रित बहन के विवाह पर व्यय हेतु विशेष ऋण की वर्तमान योजना में ''पात्रता'', ''ऋण की राशि'', ''ब्याज दर'' एवं ''चुकौती अवधि'' के मामले में आशोधन किया गया है।

The existing scheme of Special Loan to meet marriage expenses of an employee or his/her daughter/dependent sister is modified with regard to 'Eligibility', 'Amount of loan', 'Rate of interest' and 'Repayment Period'

कर्मचारी के अपने या पुत्री/आश्रित बहन के विवाह पर खर्च हेतु विशेष ऋण की वर्तमान योजना वर्ष 1982 में शुरु की गई थी और उसमें अंतिम बार 15 मार्च 1983 के प्रभाव से संशोधन किया गया था। उसके बाद रहन–सहन की लागत में काफी वृद्धि हुई है। सभी उपभोज्य वस्तुओं की कीमत में अत्यधिक वृद्धि के कारण अपने या पुत्री/आश्रित बहन के विवाह के समय सामाजिक दायित्व को पूरा करने में कर्मचारियों को अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है।

Existing scheme of Special Loan to meet marriage expenses of an employee or his/her daughter/dependent sister was introduced in the year 1982 and was last revised with effect from 15th March, 1983. Since then, there has been a substantial increase in cost of living. Due to steep rise in prices of all consumer goods, an employee has to bear additional expenditure to meet the social obligations on the occasion of his/her own marriage or in case of marriage of his/her daughter/dependent sister.

उपर्युक्त को ध्यान में रखकर तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त व्ययभार को कम करने के उद्देश्य से अधिकारियों एवं पंचाट स्टाफ सदस्यों की वर्तमान विवाह ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव निदेशक मंडल की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। निदेशक मंडल ने 03.03.2011 को हुई अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार किया और उन्होंने वर्तमान विवाह ऋण योजना में संशोधन/परिवर्तन करने का अनुमोदन किया है।

Looking at the above and to ease the employees from the pressure of the additional expenditure, a proposal for Improvement in existing Marriage Loan Scheme for Officers and Award Staff members of the Bank was placed before the Board of Directors for its consideration. The Board, in its meeting held on 03.03.2011, considered the said proposal and accorded its approval for revision/changes in the existing scheme of Marriage Loan.

शाखाओं/कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि अधिकारियों एवं पंचाट स्टाफ सदस्यों की वर्तमान विवाह ऋण योजना में निम्नलिखित संशोधन को नोट करें।

Branches/Offices are advised to note the following modifications in the existing Marriage Loan Scheme for Officers and Award Staff members.

	वर्तमान प्रावधान Existing provisions	परिवर्तित प्रावधान Modified provisions
पात्रता Eligibility	वे कर्मचारी जिन्होंने बैंक में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। महिला कर्मचारियों के लिए, न्यूनतम 3 वर्ष की लगातार सेवा। Employee who has put in minimum 5 yrs of continuous service in the Bank. For female employee, minimum 3 yrs of continuous service.	वे कर्मचारी जिनकी सेवा स्थायी हो गई है और जिन्होंने न्यूनतम 2 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली है। Employee who is confirmed in service and has put in a minimum of 2 yrs of continuous service.
ऋण की राशि Amount of loan	पिछली बार आहरित कुल वेतन का 10 गुणा, अधिकतम रु. 10,000/- मात्र। An amount equivalent to 10 times of gross salary last drawn, subject to a maximum of Rs. 10,000/- only	पिछली बार आहरित कुल वेतन का 5 गुणा, अधिकतम रु. 50,000/- मात्र। An amount equivalent to 5 times of gross salary last drawn, subject to a maximum of Rs. 50,000/- only.
ब्याज दर Rate of interest	12% प्रतिवर्ष तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि 12% p.a. compounded quarterly	आधार दर + 1% (चक्रवृद्धि) प्रतिवर्ष Base rate + 1% (compound) p.a.

जारी contd...

	वर्तमान प्रावधान Existing provisions	परिवर्तित प्रावधान Modified provisions
चुकौती Repayment	उपचित ब्याज सहित ऋण राशि की चुकौती 60 से अनिधक समान मासिक किस्तों में की जाएगी। The loan together with accrued interest shall be repayable in not more than 60 equal monthly instalments.	कोई परिवर्तन नहीं। No change.

अन्य निबंधन एवं शर्तें

Other terms & conditions

- क) पात्र स्टाफ सदस्यों को ऋण चालू रहने की अविध में प्रस्तावित ऋण की किस्त सिहत अन्य सभी कटौतियों के बाद शुद्ध वेतन कुल वेतन का 40% बनाए रखना होगा।
- a) Eligible member of staff will have to maintain 40% take home pay after all deductions including deduction of the instalment of the proposed loan throughout currency of the loan.
- ख) उन कर्मचारियों को विवाह ऋण स्वीकृत नहीं किया जाएगा जिनके विरुद्ध अनुशासिनक कार्रवाई/कानूनी कार्यवाही अवेक्षित/प्रारंभ की गई/लंबित हो। लघु कदाचार के मामले में बैंक अपने विवेकाधिकार से इस शर्त में छूट दे सकता है।
- b) In case of the employee against whom disciplinary action/legal proceedings is/are contemplated/initiated/pending, marriage loan will not be sanctioned. In case of minor misconduct, the Bank, at its discretion, may waive his condition.
- ग) जो स्टाफ सदस्य ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा रहे हैं वे इस ऋण के लिए पात्र नहीं होंगे।
- A member of staff availing Overdraft facility will not be eligible for this loan.
- घ) पूर्ववर्ती परिपत्रों में दिए गए प्रलेखीकरण, प्रतिभूति, संवितरण आदि से संबंधित अन्य सभी मानदंड अपरिवर्तित रहेंगे।
- d) All other norms of the marriage loan scheme regarding documentation, security, disbursement etc. advised by earlier circulars will remain unchanged.

शाखाओं/कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि समुचित अनुपालन हेतु उपर्युक्त दिशानिर्देशों

को सावधानीपूर्वक नोट करें। सभी संबंधितों के सूचनार्थ इस परिपत्र की एक प्रति सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाए।

Branches/Offices are advised to take a careful note of the aforesaid guidelines for its meticulous compliance. A copy of this circular may be displayed on the notice board for information of all concerned.

महाप्रबंधक General Manager (मा. सं. प्रबंधन H. R. Management)